न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:– 25/2022 | दर्ज दिनांक 04.05.2022

आरसीएमएस न. 2022/379 | निर्णय दिनांक 20.04.2023

1. राकेश
2. राजवीर

पुत्रान रामचन्द्र जाति जाट निवासी डूडी नगर तन भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं

प्रार्थीगण

बनाम

1. चांदकोर देवी पुत्री भोमा
2. जगदीश प्रसाद पुत्र भोमा
3. ज्याना देवी पत्नी भोमा
4. नागर पुत्रअ सुन्दरा (फौत)
4/1 महेश पुत्र नागर
4/2 रमेश पुत्र नागर
4/3 दिनेश पुत्र नागर
4/4 सरोज पुत्री नागर
4/5 चांदकोरी पत्नी नागर
5. पितराम पुत्र भोमा
6. भगुता पुत्र तुलसा
7. रिछपाल पुत्र तुलसा
8. सतवीर पुत्र भोमा
9. उर्मिला देवी पुत्री हरफुल सिंह
10. किरण देवी पुत्री हरफुल सिंह
11. बनारसी देवी पत्नी हरफुल सिंह
12. मंगला पुत्र रामकुवार
13. विजेन्द्रसिंह पुत्र हरफुलसिंह
14. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरफुल सिंह
15. हरीराम पुत्र रामकुमार

समस्त जाति जाट निवासी डुडीनगर तन भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

16. राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामण बैंक शाखा भोड़की जरिये शाखा प्रबन्धक।
17. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भोड़की जरिये शाखा प्रबन्धक
18. तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 20.04.2023

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्र[illegible] किया कि ग्राम डुडीनगर पटवार हल्का भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी की सरहद [illegible] खसरा न. [illegible] रकबा 2.5100 है0 भूमि अवस्थित है जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदा[illegible] है जिसमें प्रार्थीगण अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:07 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

भूमि की सिंचाई के लिय चाह बना रखा है। प्रार्थीगण का मुख्य पैशा काश्त है तथा प्रार्थी काश्त की उपज से ही अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहे हैं। ग्राम डूडीनगर पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा न. 44 रकबा 2.19 है0 भूमि अवस्थित है जिसके अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 खातेदार काश्तकार हैं। ग्राम डूडीनगर पटवार हल्का भोड़की तहसील गुढा की सरहद में भूमि खसरा न. 3525/44 रकबा 0.54 है0, खसरा न. 43 रकबा 1.54 है भूमि है जिसके अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 15 खातेदारक काश्तकार हैं। प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 41, 42 में आवागमन के लिए एक पगडण्डी डुडियों की ढाणी जाने वाले कटाणशुदा रास्ते से फटकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की भूमि खसरा न. 44 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे तथा अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 15 की भूमि खसरा न. 3525/44 व 43 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे से होती हुई प्रार्थीगण की काश्त भूमि खसरा न. 41, 42 तक जाती है जो प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में ए बी बिन्दु दर्शाई गइै है जो बी बिन्दु पर प्रार्थीगण के खेत में प्रवेश करती है। इस प्रकाश प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 41, 42 में आने वाली कदीमी पगडण्डी जो पिछले कई वर्षों से चालू थी लेकिन उक्त पगडण्डी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण 1 लगायत 15 उक्त पगडण्डी में बार–बार व्यवधान कारित करते हैं। वैसे भी मौजूदा समय में सभी प्रकार के कृषि कार्य कृषि उपज को बाजार में बेचने तथा कृषि कार्य के लिए टैक्टर जीप, गाड़ी की आवश्यकता होती है उक्त पगडण्डी से प्रार्थीगण को अपनी भूमि में काश्त के लिए ट्रैक्टर आदि ले जाना सम्भव नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण 1 लगायत 15 के खेत में से आन जाने के लिए उक्त पगडण्डी को 4 मीटर चौड़ा करने की आवश्कयता है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की कृषि भूमि से होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि तक तकरीबन 100 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ रास्ते की आवश्कयता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक रास्ता नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को ग्राम डूडीनगर पटवार हल्का भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा न. 41, 42 रकबा 2.51 है0 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की भूमि खसरा न. 44 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 15 की भूमि खसरा न. 3525/44 व 43 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिलाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 ने इकबालिया जवाब पेश किया अप्रार्थी संख्या 15 लगायत 18 बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 21.03.2023 को प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि खसरा न. 41, 42 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि खसरा न. 44 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे तथा अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 15 की भूमि खसरा न. 3525/44 व 43 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता आने जाने के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 को रास्ता बाबत कोई ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:07 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जाचं रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम डूडीनगर पटवार हल्का भोड़की के भूमि खसरा न. 41, 42 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि खसरा न. 44 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे तथा अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 15 की भूमि खसरा न. 3525/44 व 43 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहा । अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते बाबत् कोई ऐतराज नहीं है, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीकी रास्ता नहीं है। रा.का. अधिनियम 251क सम्मरी ट्रायल है। उक्त विवेचना से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डूडीनगर पटवार हल्का में स्थित आवेदकगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41, 42 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि खसरा न. 44 तथा अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 15 की भूमि खसरा न. 3525/44 व 43 में सें तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट में दर्शाया गया रास्ता को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि या डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार गुढ़ागौड़जी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है को नियमानुसार भुगतान करे/ जमीन के बदले जमीन दे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 21..03.2023 मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

20/4/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/4/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:07 IST
Reason: SelfAttested